न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 112/2016

कुन्दनसिंह पुत्र नत्थासिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट

बनाम

1. साधुसिंह पुत्र नत्थासिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 24.05.2016

उपस्थितिः—

श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक अपीलांट

श्री कुलवन्त सिंह संधू अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धू , राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 12.03.2018**

प्रकरण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि वादी के पिता को जीवों के आधार पर चक 2 एस. बडा के मु.नं. 47 के 21 बीघा भूमि आवंटन हुई थी जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा व माता–पिता, भाई के 3/5 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा बनता है। मगर अप्रार्थी ने चुपचाप अपने नाम से गलत रिकार्ड पेश कर सनद जारी करवा ली गई। अप्रार्थी उक्त भूमि को मुन्तकिल करने की फिराक में है एवं उपजाउ शक्ति को नष्ट करना चाहता है। अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक कुल 5.566है0 पर अथवा वादी के हिस्सा की हद तक भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

12/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। विवादित भूमि नत्थासिंह को आवंटन हुई थी। नत्थासिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत अप्रार्थी के पक्ष में करदी जिसका इन्तकाल अप्रार्थी के नाम दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी काबिज नहीं है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 14.05.2016 को प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र, अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि in medio है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में विधिक भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि नत्थासिंह को आवंटित थी। नत्थासिंह ने रेस्पों. के पक्ष में वसीयत कर दी। रेस्पों. अभिलिखित खातेदार है। भूमि in medio नहीं है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.05.2016 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रा.पत्र अन्तर्गत राज.काश्त.अधि. की धारा 212 बाबत रिसीवर नियुक्ति का खारिज किया है जबकि विवादित आराजी Property in medio है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

12/5/18

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय के निर्णय का कियात्मक अंश है जमाबन्दी सम्वत 2067–70 चक 2 एल बडा के खाता सं. 62/57 मु.नं. 47 के 5.5660है0 भूमि साधुसिंह पुत्र नत्थासिंह के नाम दर्ज हो चुकी है। वर्तमान विवादित भूमि पर साधुसिंह काबिज है। विवादित भूमि मीडिया इन नहीं है। किसी वाद विवाद कब्जे के सम्बन्ध में एफ आई आर लडाई झगडे, विवाद होने का कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए प्रापर्टी इन मीडियो नहीं है। साथ ही प्रोपर्टी का कब्जाधारी डैमेज कर रहा है या नुकसान पंहुचा रहा हो, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है। लिहाजा रिसीवर नियुक्त किये जाने के आवश्यक कारकों की पूर्ति नहीं करता है। यह भूमि वर्तमान में मीडियों नहीं मानी जा सकती । अन्य समस्त उठाये गये साक्ष्य सबूतों के आधार पर तैय होने है। ऐसी परिस्थितियों में विवादित भूमि पर रिसीवर करने जैसा सख्त कदम उठाया जाना उचित न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

Appointment of Receiver is a harsh remedy and A man in possession should not be disposed in the garb of receiver ही रिसीवरी का मूल मंत्र है। अधी. न्यायालय द्वारा इसी अवधारणा अनुसार निर्णय किया है जिसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर